सं0- 345 जेएल/22-3-2025-ई-1589198

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 21 अगस्त, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार-2, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बन्दी हैदर पुत्र श्री महताब को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-29967/सामा-1(5)/12/बन्दी स्था0/2025, दिनांक 28-07-2025 में की गई संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार-2, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बन्दी हैदर पुत्र श्री महताब को जिला कारागार, सोनभद्र में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली/सोनभद्र।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बरेली/सोनभद्र।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2, बरेली/ अधीक्षक, जिला कारागार, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को कारागार में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव